राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:–0141–2740837, ई–मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन /पार्ट–I/अलेसे–III/7760 दिनांक :– 24-09-2025

आदेश संख्या 396/2025–26

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा–2023 में सफल घोषित होने एवं बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंषा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन–भत्तों पर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि **वे कोषालय, कोटा में दिनांक 25.09.2025 को कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट कोषाधिकारी को प्रस्तुत करने के पश्चात हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में दिनांक 25.09.2025 से प्रारंभ होने वाले पाँच सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।** कोषाधिकारी नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों की कार्यग्रहण रिपोर्ट मय दस्तावेज 7 दिवस में इस विभाग को Email-jacct.dta@rajasthan.gov.in पर एवं विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित करें:–

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम/रोल नं./मेरिट	जन्मतिथि	अभ्यर्थी का फोटो
1.	PRATIBHA SHARMA D/O KRISHAN KUMAR SHARMA 786618	01-07-1993	
2.	JYOTI KUMARI MEENA D/O GOKLESH MEENA 750614	18-07-1995	
3.	PAWAN KUMAR GURJAR S/O BALCHAND 783838	25-02-1998	
4.	VIMAL KUMAR MEENA S/O JHABBU LAL MEENA 711572	04-04-1993	
5.	ANOOP KUMAR SHARMA S/O SATYANARAYAN SHARMA 716549	07-07-1999	
6.	YADVENDRA SINGH GURJAR S/O PARMAL SINGH GURJAR 712643	24-10-1995	
7.	RAJESH KUMAR GURJAR S/O JAGDISH GURJAR 761029	04-07-1998	
8.	PREETI NAGAR D/O BRIJ MOHAN NAGAR 789341	10-02-1993	

9.	AJEET SINGH MEENA S/O RAM CHARAN MEENA 771472	18-02-1998	
10.	SUNITA MEENA D/O MEETHALAL MEENA 747333	05-07-2000	
11.	JITENDRA KUMAR MEENA S/O GIRRAJ PRASAD MEENA 746190	04-08-1996	
12.	NISHA AGRAWAL D/O HARI PRASAD AGRAWAL 716726	10-08-1997	
13.	RAHUL KUMAR MEENA S/O MOHAN SWAROOP 711653	09-06-1998	
14.	DHEERENDRA KUMAR NAGAR S/O DAYA KRISHAN NAGAR 788519	01-06-1995	
15.	NIKETA MEENA D/O MUSNHI LAL MEENA 711540	15-11-1997	
16.	LALCHAND RATHOR S/O MOHAN LAL RATHOR 786131	05-01-2001	
17.	NEHA D/O JAGDISH SINGH 716446	21-02-1994	
18.	KIRTI JORWAD D/O RAMESHWAR PRASAD MEENA 714106	23-10-2000	
19.	AASHIRVAAD SHARMA S/O DINESH KUMAR SHARMA 761588	18-06-1996	
20.	MUKESH KUMAR S/O HOTAM SINGH 714039	30-12-1994	

उपरोक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जाती है :–

1. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस०एल०पी० 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। राज्य सेवा मे कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
2. राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/आदेश लागू होंगे। **यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।**
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा/सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
4. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रुप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे मेट्रिक्स लेवल–10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नही होगें।
5. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
6. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम–10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय चिकित्सा अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय कोषाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के समय निम्नलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनकी उपस्थिति स्वीकार्य होगी:–
   1. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र 2. दहेज संबंधी शपथ पत्र 3. धूम्रपान/गुटखा संबंधी शपथ पत्र 4. चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र–ए (उक्त 4 शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई–स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।) 5. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों (संलग्न) में भरकर संबंधित कोषालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नही करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती हैं। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुतीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I में आने वाले मामलो को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।
10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 12726/2024 विक्रम वर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 09.12.2024 को जारी आदेश के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
12. माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 774/2025 विमल गुप्ता एवं अन्य बनाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.08.2025 के अनुसार उक्त भर्ती की सभी नियुक्तियां एस बी सिविल रिट याचिका सं. 339/25 के अंतिम नतीजे के अध्यधीन रहेगी।
13. उक्त नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में दायर याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
14. उपरोक्त अभ्यर्थी उक्त आदेश की पालना में संबंधित कोषालय में निर्धारित दिनांक के 15 दिवस में कार्यग्रहण नही करतें है और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्नः– शपथ–पत्रों के प्रारूप

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/पाट–I/अलस–III/ 4760 दिनांक :– 24-09-2025

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ सयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त विधि परामर्शी (विधि) कार्यालय हाजा।
6. अतिरिक्त/सहायक निदेशक, हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा।
7. **कोषाधिकारी कोटा को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही इनकी उपस्थिति स्वीकार करने के पश्चात उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में दिनांक 25.09.2025 से प्रारंभ होने वाले पाँच सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु कार्यमुक्त करें एवं उक्त कनिष्ठ लेखाकारों की Employee Id बनवाकर प्रशिक्षण समयावधि की उपस्थिति के आधार पर निदेशालय द्वारा उपलब्ध बजट मद द्वारा अग्रिम आदेशों तक वेतन आहरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जरिये विशेष वाहक कार्यग्रहण रिपोर्ट (सूची सहित) 07 कार्य दिवस में निदेशालय को प्रेषित करावें :–**
   1. **जिला स्तर के राजकीय चिकित्सा अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र**
   2. **सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र**
   3. **दहेज संबंधी शपथ पत्र**
   4. **धूम्रपान/गुटखा सेवन न करने संबंधी शपथ पत्र**
   5. **चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र–ए में शपथ पत्र**
   6. **पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों में**

   (उक्त कम संख्या 2 से 5 तक के शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई–स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय ।
9. उपनिदेशक (एसीपी), कोष एवं लेखा, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस (COINS) में रिकार्ड के संधारण हेतु।
10. संबंधित अभ्यर्थियों श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री..को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कोष कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र प्रेषित करावें।
11. रक्षित/निजी पत्रावली ।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)